

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

कृष्ण कुमार

ओमप्रकाश ठाकुर

दावा बाबत :- 88.RTA-11

मुकदमा नम्बर :- 136/2021

निर्णय दिनांक :- 7-12-2021

वादी की ओर से वकील पवन सिंघाना की व प्रतिवादी सं० की ओर से वकील रोहित लाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही मौजा घेऊ के खाला सं० 216/205 के खसरा सं० 723 की 2-6050 ई०, खसरा सं० 738 की 9-3710 ई०, खसरा सं० 742 की 7-6380 ई० कुल 19-6140 ई० वारमा खेत दारी प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व वादी कृष्ण कुमार व प्रतिवादी सं० 2 अनिल कुमार को व हिस्सा वारमा के खेतदार का अधिकार घोषित किया जाते हैं जो कि प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर मूल्य कर लिया है इस लिए त्याग किमती हिस्से पर पंजीयन विभाग का दाय पंजीयन मूल्य एवं खाम उभयो को कराने व भी हिम मुक्ति वकू के रहन दाता रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमूल वारमा किमती जाये राजागाम का डिक्री का लागू पडा जाय।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

